

if'pe e/; jsy

क.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/2014



dk; kly;
egkfujh{k d&l g&eq; l g {kk
vk; Dr
jsl qc-@i-e-jsy@tcyig
fnukad& 23-05-2014

mi eq; l adr , oanjl pkj vfhk; rk 1/2syh-1/2
if'pe e/; jsy@tcyig

fo"k; &ekg vi dy&2014 ea if'pe e/; jsy ds {k=kf/kdkj ea jsy
vf/kfu; e , oa jsy l a fRRk dh pkjh ds ekeyka dk i athdj.k
fooj.kA

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है। साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइट में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न:- 04 पेज।

l gk; d l g {kk vk; Dr 1/2vfhk; kst u1/2
jsl qc-@eq; ky; @tcyig

जस्य लाभर वफोदोदो व/कु; ए दस वरखर एग विस्य & 2014
 ए सिअर-र एकेस

माह	हल किये गये मामले	बरामद संपत्ति की कीमत	गिरफ्तार		
			बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
विस्य & 2014	41	78788	63	03	00

जस्य लाभरक ध पक्षि दस एकेसक दक अथदज.क फोज.क एग विस्य 2014

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
विस्य 2014	43	41	78788	73788	63	03	00

एप'कक लाभरक ध पक्षि दस एकेसक दक अथदज.क फोज.क एग विस्य
 2014

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
विस्य & 2014	00	00	00	00	00	00	00

जस्य लाभरक ध पक्षि दस एकेसक दक अथदज.क फोज.क एग विस्य 2014

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
विस्य 2014	43	41	78788	73788	63	03	00

जस्य व/कु; ए दस रग्र दक; डकघ & अप्रिल .-2014

/कक	व/कु; कफ्र 0; फडर; कध ल; क	ल तक अथदज 0; फडर; कध ल; क	तकुक लो: अथदज खडकक
-----	----------------------------	---------------------------	--------------------

	pkyy ekg (CM)	Pkkyw l ky (PTCY)	pkyy ekg (CM)	Pkkyw l ky (PTCY)	pkyy ekg (CM)	Pkkyw l ky (PTCY)
137	1827	6670	1823	6650	867286	3381632
138	9759	32252	9759	32251	3866926	13142325
139	0	0	0	0	0	0
141	193	925	147	668	134275	584035
142	0	0	0	0	0	0
143	10	24	0	0	0	0
144	1238	4505	511	2624	477030	1772415
145	823	2597	565	1938	97810	343130
146	16	29	13	21	5625	9825
147	618	3675	500	3245	120120	619010
153	0	1	0	0	0	0
154	16	58	7	36	60160	214260
155	966	2826	781	2438	107450	319300
156	171	1023	122	946	15525	105950
157	0	0	0	0	0	0
159	341	1839	238	1348	46320	230920
160	9	33	0	3	0	18400
161	0	1	0	0	0	0
162	660	2452	570	2222	84010	199510
163	0	0	0	0	0	0
164	0	1	0	0	0	0
165	0	0	0	0	0	0
166	0	2	0	2	0	1000
167	29	180	13	159	1050	12150
172	0	1	0	0	0	0
173	0	0	0	0	0	0
174	9	41	4	22	36500	80850
175	0	0	0	0	0	0
176	0	0	0	0	0	0
180(g)	0	0	0	0	0	0
Totd	16,685	59,135	15,053	54,573	59,20,087	2,10,34,712

jsl qc- }kjk ekg vi fy &2014 ds nkjku

किये गये अच्छे कार्यों का ब्यौरा

- 01- इस माह रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चलाये गये अभियानों में 16,685 व्यक्तियों को अभियोजित कर उनसे बतौर जुर्माना 59,20,087/-रु. की राशि वसूली गई है।
- 02- दिनांक 11.04.2014 को सागर स्टेशन में गाड़ी सं. 12121 म.प्र. संपर्क कांति एक्सप्रेस के आगमन पर यात्री नीलेश जैन ने सउनि आर.पी. त्रिपाठी को सूचना दी कि उक्त गाड़ी में 01 लड़का लावारिस

- हालत में मिला है। सउनि द्वारा उक्त लड़के से पूछताछ करने पर अपना नाम विवेक उम्र लगभग 10 साल बताया एवं अपने बड़े भाई के मारने के कारण घर छोड़कर भागना तथा परिजनों में किसी का भी मोबाइल नंबर मालूम नहीं होना बताया। उक्त लावारिस बालक की जानकारी जीआरपी सागर में दर्ज कराई एवं चाईल्ड केयर सागर में प्रभारी श्री धरमू पटेल को सुपुर्द किया गया है।
- 03- दिनांक 30.03.14 को रेसुब/गंजबसौदा आउट पोस्ट में एक महिला जिसका नाम पुष्पा बाई उम्र 45 साल निवासी रेलवे क्वार्टर बरेठ द्वारा एक तंत्र-मंत्र करने वाला व्यक्ति द्वारा टग कर सोने-चांदी के आभूषणों को ले जाना बताया। जिसे उपनिरीक्षक एवं प्र.आर. नबाब सिंह बौद्ध, आर. जफरउद्दीन, आर. देव कुमार घावरी द्वारा घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़कर उसके पास से सोने व चांदी के आभूषण जप्त किये। जिनकी कुल कीमत लगभग 4,00,000/- रुपये महिला द्वारा बताई गई तथा पकड़े गये व्यक्ति द्वारा जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार किया। एस.डी.ओ.पी. गंजबासोदा द्वारा शासकीय रेल पुलिस विदिशा को मामला दर्ज करने हेतु आदेशित किया। जिस पर शासकीय रेल पुलिस गंजबासोदा द्वारा अपराध क्रमांक 27/2014 धारा 379 आईपीसी दिनांक 30.03.2014 दर्ज कर जांच में लिया गया।
- 04- दिनांक 12.04.14 को हबीबगंज स्टेशन पर गस्त के दौरान 03 बालक हबीबगंज स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 01 एवं मेनगेंट के पास लावारिस हालत में रेसुबल स्टाफ को मिले जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु सउनि एस.के.शर्मा के पास पेश किया सउनि द्वारा उक्त तीनों से पूछताछ किया तो उन्होंने अपना नाम व पता क्रमशः (01) जोगी लाल बैरागी (02) अभय कुशवाहा (03) नदीम बताया और आगे की कार्यवाही हेतु निवसीड बचपन संस्था भोपाल की अध्यक्ष श्रीमती जमुना देवी फारकले को उक्त बच्चों के संबंध में सूचना दी गई। बाद संस्था की अध्यक्ष द्वारा पोस्ट हाजिर होकर तीनों बच्चों से पूछताछ की गई और बच्चों के परिजनों को तलाश कर उन्हें सूचित किये जाने तक के लिये अपनी अभिरक्षा में लिया गया।
- 05- दिनांक 11.04.14 को रेसुबल पोस्ट भोपाल स्टेशन की उपनिरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी द्वारा दौरान एरिया गस्त प्लेटफॉर्म 02 पर एक लड़का व एक लड़की के लावारिस हालत में मिलने पर पोस्ट पर लाया गया, पूछताछ करने पर लड़की ने नाम रोमा मिसेरिया उम्र 15 साल तथा लड़के ने नाम-पंकज उम्र 24 साल बताया, चूंकि लड़की नाबालिग थी अतः उसे बचपन संस्था को सूचना देकर कार्यकर्ता जमुना फारकले को लड़की रोमा मिसेरिया को सुपुर्द किया गया। लड़की रोमा मिसेरिया के बताये अनुसार उसके परिवारजनों से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 11.04.14 को पुलिस थाना टीलाजमाल पुरा भोपाल में शिकायत की गई है। अतः पंकज पिता कालू धमरिया को पुलिस थाना टीलाजमाल पुरा भोपाल के स.उ.नि. श्री आर. एस. राजपूत को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया है।
- 06- दिनांक 21.04.14 को रे.सु.ब. इटारसी स्टेशन पर तैनात सउनि मिथिलेश कुमार कठेरिया, प्रधान आरक्षक गंगासागर राय एवं आरक्षक सनत कुमार मिश्रा साप्ताहिक परेड हेतु पोस्ट पर आ रहे थे। इसी दौरान इटारसी रेलवे स्टेशन के पैदल पुल के उपर एक व्यक्ति आर.पी.एफ. की वर्दी पहने हुये मिला, पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम पंकज मालवीय उम्र 21 साल बताया तथा उसके पहचान पत्र व तैनाती स्थल आदि के बारे में पूछने पर कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे पाया। गहनता से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह आर.पी.एफ. में नौकरी नहीं करता है तथा वह रेलवे को धोखा देने के उद्देश्य से वर्दी पहना था। उसके पास नगद 2730/रुपये, 05 सिमकार्ड, एक माईक्रोमैक्स मोवाइल नं. ए-47 पाई गई जिसे जप्ती पत्र के तहत जप्त किया गया। मामला धोखाधड़ी का पाया जाने पर उक्त पकड़े गये व्यक्ति मय जप्त किये गये सामान के साथ जीआरपी इटारसी को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। जिस पर जीआरपी इटारसी द्वारा पकड़े गये व्यक्ति के विरुद्ध अपराध क्रमांक-119/14 धारा 170 आईपीसी, दि0 21.04.2014 को दर्ज किया गया। मामले की जांच श्री इन्द्रजीत सिंह कुशवाहा सहायक उपनिरीक्षक जीआरपी इटारसी द्वारा की जा रही है।
- 07- दिनांक 14.04.2014 को उनि/सवाईमाधोपुर महेशचन्द्र मीणा को दौरान गस्त एक लावारिस बालक प्लेटफार्म नं0 2/3 पर पर घुमता हुआ मिला। पूछने पर उसने अपना नाम वसीम पुत्र मुद्दीन उम्र-11 वर्ष, जाति-मुसलमान, निवासी-झिरकाह चौदपुर, जिला-कटिहार (बिहार) बताया। बच्चे के नाम व पते के अलावा मोबाइल आदि नहीं मिला। बाद एसएचओ/जीआरपी/सवाईमाधोपुर व एसएस/सवाईमाधोपुर को सूचित कर बाल कल्याण समिति सवाईमाधोपुर को सुपुर्द किया व पावती प्राप्त किया।

- 08- दिनांक 25.04.2014 को एक व्यक्ति गाडी सं.-59805 के एस0/4 कोच में एक फर्जी व्यक्ति अपने आपको टीटीई बताकर टिकिट चैक कर रहा है जिसे यात्रियों ने पकड़ रखा है। सउनि/गंगापुरसिटी सुन्दर सिंह द्वारा मय स्टाफ गाडी को गंगापुरसिटी में अटेंड किया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पूछने पर अपना नाम तुलसीदास उम्र-20 वर्ष, निवासी-परोंदा, थाना-श्रीमहावीरजी, जिला-करौली (राज0) बताया गया। टीटीई द्वारका प्रसाद द्वारा जीआरपी/गंगापुरसिटी को एफआईआर दिया जिस पर अप0क0-9/2014 धारा 151 सीआरपीसी दिनांक 25.04.2014 कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की विवेचना जारी है।
- 09- दिनांक 27.04.2014 को क्लैट्टज् अखिलेश माथुर ने रे0सु0ब0 पोस्ट को सूचना दिया कि फुटओवर ब्रिज पर उत्तर साईड के उपर डस्टबिन में 01 नीले रंग का बैग पड़ा है सूचना पर सउनि/भरतपुर सुग्रीव सिंह मय स्टाफ साथ में प्वाइंट्समें केन्द्रपाल को लेकर उक्त स्थान पर पहुँचे जहाँ एक नीले रंग का बैग पड़ा हुआ था। जिसे प्वाइंट्समें द्वारा उठवाकर डिप्टीएसएस कार्यालय लाया गया। डिप्टी एसएस/भरतपुर के सामने बैग को खोलने पर उसमें 01 एचपी कम्पनी का लेपटाप तथा पहनने के कपड़े एवं 03 सीडी कैसेट मिली। बैग एवं सामान को एलपीओ में पार्सल बाबू मोहन ठाकुर को जमा किया।
- 10- दिनांक 29.04.2014 को गाडी 12416 में प्र0आर0 जनक बाबू शर्मा, प्र0आर0 रामराज मीना, आर0 गनपतसिंह सुरक्षा पार्टी ने नोट कराया कि गाडी 12416 के भरतपुर स्टेशन के च्-03 पर रवाना होने पर कोच एस-8 में एसीपी होने पर एक व्यक्ति कोच से उतरकर च्-03 पर भागा जिसे कोच टीटीई बृज मोहन, है.का./रेसुब मोतीलाल, सील चैकर स्टाफ भरतपुर एवं ईस्कोर्टिंग पार्टी द्वारा घेरकर पकड़ा और वापस कोच नं. एस-8 में चढाया। ईस्कोर्टिंग पार्टी द्वारा पूछताछ करने पर यात्रीराकेश सिंह ने भरतपुर स्टेशन से गाडी के स्टार्ट होते ही एक अज्ञात व्यक्ति प्लेटफार्म पर से खिडकी से हाथ डालकर उसकी पत्नी रीना देवी की गले की सोने की चैन छीनकर भाग गया। पकड़े व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम-लक्ष्मन बताया तथा चैन लेकर भागे उसके साथी का नाम-दीपक बताया। पकड़े व्यक्ति को एवं फरियादी सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी कोटा को सुपुर्द किया। जीआरपी कोटा द्वारा अ.क. 0/14 धारा 356, 379 भादसं. कायम कर, घटना क्षेत्र जीआरपी भरतपुर का होने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी भरतपुर को स्थानान्तरण कर पकड़े गये आरोपी को आरपीएफ एवं जीआरपी कोटा के साथ जीआरपी भरतपुर को भेजा गया।
- 11- दिनांक 18.04.14 को गाडी सं. 12903 में एक महिला यात्री प्रीति यात्रा के दौरान गंगापुरसिटी रेलवे स्टेशन पर गाडी के ठहराव के दौरान उक्त महिला यात्री अपने बच्चों को शौचालय लेकर गई थी इसी बीच उसकी उंगली में हीरे की अंगूठी शौचालय के रास्ते से नीचे लाईन पर गिर गई। इस पर महिला यात्री के शोर मचाने पर सह-यात्रियों द्वारा एसीपी की गई। महिला यात्री ने रेसुब आउट पोस्ट गंगापुरसिटी पर सूचना दी। सूचना पर प्र0आर0 सुरेश कर्दम एवं आर भूपेन्द्र सिंह द्वारा लाईन पर तलाश करने पर अंगूठी मिल गई उसकी सूचना महिला यात्री प्रीति को दी गई। उक्त महिला यात्री के परिचित को सउनि दशरथ सिंह द्वारा अंगूठी सुपुर्द की गई।
- 12- इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 280 व्यक्तियों के विरुद्ध रEckdq vf/kfu; e (क्तवीपइजपवद वंिकअमतजपेमउमदज ंदक तमहनसंजपवद वजितंकमए चतवकनबजपवदए नचचसल ंदक कपेजतपइनजपवद ।बजए 2003द्ध के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 56,000/-रु. का जुर्माना वसूल किया गया।